



वकील वादी ने साक्ष्य पेश किया  
अपवाद दिया गया। पत्रावली वाले साक्ष्य वादी  
दि. 24.7.24 को पेश होवे।

  
SDO

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान  
उपरिष्पत। वकील वादी प्रकरण में न्यायालय  
की अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं  
एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।  
वकील वादी ने नोट-प्रेस करने का  
निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट  
प्रेस किमे जाने के आधार पर प्रकरण  
थारिज किमा जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर बाद तकमील दाखिल कर  
होवे।

Note  
(किसी)  
Mr. P. S. S. S.  
सुपरी

  
उपस्थित अधिकारी  
सीमलवाडा